

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 2 SUB-SECTION (ii) OF THE
EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJIV GANDHI BHAWAN, NEW DELHI

October, 2013.

NOTIFICATION

S.O... whereas Motor Glider VT-GJH of Government of Jharkhand met with an Accident at Deoghar on 07.08.2013.

And whereas it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the accident and make recommendations to avoid reoccurrence of such accidents in future.

Now, in exercise of the powers conferred by the Rule 11 (1) of the Aircraft (Accident and Incidents Investigation) Rules 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry of the said accident be held.

The Central Government is pleased to appoint a Committee of Inquiry headed by Sh. A X Joseph, Assistant Director, AAIB with Sh. K Ramachandran, ASO, AAIB as member to inquire into the circumstances of this accident.

The committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.


(G. Asok Kumar)

Joint Secretary to the Govt. Of India

(No.AV.15013/ 01/2013-DG)

To,

The Manager
Government of India Press, Mayapuri,
New Delhi.

भारत के असाधारण राजपत्र के के भाग-॥ खंड-2 के उप-खंड (ii) में प्रकाशन के लिए

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

सा.आ..... जबकि झारखंड सरकार का मोटर ग्लाइडर वीटी-जीजेएच दिनांक 07.08.2013 को देवघर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

और जबकि केन्द्र सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त दुर्घटना की तत्काल जांच करने तथा इस गंभीर दुर्घटना के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने हेतु सिफारिशें करने के लिए जांच कराई जाए।


अब, वायुयान नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) (दुर्घटना तथा घटना की जांच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त गंभीर दुर्घटना की औपचारिक जांच की जाए।

केन्द्र सरकार, दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच करने हेतु श्री ए.एक्स. जोसेफ, सहायक निदेशक, एएआईबी की अध्यक्षता में श्री के. रामचन्द्रन, एएसओ, एएआईबी उस जांच समिति के सदस्य रहेंगे।

जब कभी अपेक्षित होगा, समिति अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को छः महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी।



(जी.अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(सं.-एवी-15013/1/2013-डीजी)

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली।